भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4122

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

भारत आटा पहल

4122. श्री आशीष दुबे:

श्री राहुल सिंह लोधी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'भारत आटा' पहल का ब्यौरा क्या है और उक्त कल्याणकारी पहल के संबंध में सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या उक्त व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं के आटे का खुदरा मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना में रियायती रखा गया है ताकि आम जनता के लिए इसकी वहनीयता सुनिश्चित की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशव्यापी मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा अंतिम छोर तक वितरण नेटवर्क में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] नीति के अंतर्गत सामान्य उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 06.11.2023 को भारत आटा योजना शुरू की गई थी। भारत आटा पहल के तहत, एफसीआई, ओएमएसएस (डी) नीति के अंतर्गत तीन केंद्रीय सहकारी एजेंसियों नामत: राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एनएएफईडी) और केंद्रीय भंडार को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति करता है। ये एजेंसियां गेहूं को पीसकर आटा बनाती हैं और इसे 'भारत आटा' ब्रांड नाम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित रियायती खुदरा मूल्य पर बेचती हैं। इसके अलावा, सरकार ने ओएमएसएस (डी) नीति 2026-27 के दौरान भारत आटा के लिए गेहूं की बिक्री पर 2.35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) सहायता जारी रखने का निर्णय लिया है।

(घ): सरकार देशव्यापी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखती है और वर्तमान में, ओएमएसएस (डी) नीति 2026-27 के तहत भारत आटा की खुदरा बिक्री के लिए 0.5 लाख टन गेहूं आवंटित किया है। इसके अलावा, मौजूदा बाजार स्थितियों और मांग को ध्यान में रखते हुए भारत आटा पहल के तहत, गेहूं के आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। एनएएफईडी/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार के अपने स्टोर, मोबाइल वैन और ई-वाणिज्य/बड़े चेन रिटेलर्स के माध्यम से भारत आटा की बिक्री की अनुमति है।
